उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-11/2020/1227/94-स्टा०नि०-2-2020-700(18)/2020

लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम,1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा(1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में निष्पादित, जिला प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र नैनी में सरस्वती हाई-टेक सिटी से सम्बन्धित 451.38 हेक्टेयर भूमि के हस्तान्तरण विलेखों पर संदेय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं;

परन्तु यह कि-

1- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित ग्रामों के उपरोक्त भूमि सम्बन्धी विवरण, सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय को ऐसे किसी विलेख की रजिस्ट्री के पूर्व उपलब्ध कराये जाने होंगे|

2- पूर्वोक्त छूट, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में पूर्वोक्त भूमि से भिन्न किसी अन्य भूमि के लिये निष्पादित अन्तरण विलेखों पर उपलब्ध नहीं होगी|

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-11/2020/1227/94-स्टा०नि०-2-2020-700(18)/2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 02.11.2020 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें |

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव |

संख्या-11/2020/1227/94-स्टा०नि०-2-2020-700(18)/2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश प्रयागराज|
2-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन |
3-प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन|
4-प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन|
5-आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश |
6-प्रबंध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, उत्तर प्रदेश, कानपुर|
7-मंडलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज|
8-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ |
9-जिलाधिकारी, प्रयागराज |
10-उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन,प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज |
11-सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, जनपद-प्रयागराज |
12-विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन |
13-भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन |
14-गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **N**otification no-11/2020 /1227/94-S.R.-2-2020-700(18)/2020 dated, 02 November, 2020.

Notification

Order

No-11/2020/1227/94-S.R.-2-2020-700(18)/2020

Lucknow: Dated, 02 November, 2020

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit, with effect from the date of publication of this notification, stamp duty payable on the deeds of conveyance of 451.38 hectares of land relating to the Saraswati High-tech City, in Industrial area Naini of district Prayagraj, executed in favour of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA):

Provided that-

1- the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) shall make available to the concerned Sub-Registrar office, details of the land above-mentioned, belonging to the concerned villages, before registry of any such deed; and

2- the aforesaid remission shall not be available to deeds of transfer executed in favour of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) for any land other than the aforesaid.

By order

Veena Kumari

Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**